*प्रेस नोट*
*जनपद – संतकबीरनगर *
*दिनाँक 02.01.2026*

***दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 01. कन्हैया पुत्र पूर्णवासी निवासी बरईपार, 2. श्रीचन्द वर्मा पुत्र रामकिशुन वर्मा निवासी मोतीनगर आदर्श होटल थाना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, उ0नि0 श्री अजीत कुमार यादव, सूर्यप्रकाश यादव, का0 अतीश यादव, का0 सुनील पाल, का0 सत्येन्द्र कुमा यादव

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार***

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
***थाना महुली पुलिस*** द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 149 वाहनों से 1,46,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनाँक 02.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 149 वाहनों से 1,46,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

## *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0स0 1070/2025 धारा 69, 87, 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता हेमन्त यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र निवासी पचेठी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 02.01.2026 को बालूशासन पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनाँक 16.11.2025 अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-*** उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक, का0 रंजन कुमार, का0 बलराम यादव।

**मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान**

- **जनपद के समस्त थानों द्वारा 68 स्थानों पर 1431 व्यक्तियों को किया गया चेक।**
- **73 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया।**
- **36 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही।**
- **1026 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 11 स्थानों पर 142 व्यक्तियों को चेक किया गया, 120 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 12 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 02 स्थानों पर 65 व्यक्तियों को चेक किया गया, 29 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 07 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 100 व्यक्तियों को चेक किया गया, 80 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 20 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 16 स्थानों पर 145 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 86 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर 374 व्यक्तियों को चेक किया गया, 10 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 350 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 10 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 06 .थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक किया गया, तथा 80 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 220 व्यक्तियों को चेक किया गया, 145 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 09 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 04 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 165 व्यक्तियों को चेक करते हुए 90 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, थाना क्षेत्र मे 01 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 50 व्यक्तियों को चेक किया गया, 46 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 59 स्थानों पर 2619 वाहनों को किया गया चेक।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 144 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 06 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1287 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 02.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

## *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 01/ 2026 धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बिजेन्द्र गुप्ता उर्फ ब्रिजेन्द्र पुत्र अशोक गुप्ता निवासी पुरानी तहसील थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 02.01.2026 को डिघा बाईपास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण***
बिजेन्द्र गुप्ता उर्फ ब्रिजेन्द्र पुत्र अशोक गुप्ता निवासी पुरानी तहसील थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***आपराधिक इतिहास***

**1. मु0अ0सं0 217/2025 धारा 302(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।**
**2. मु0अ0सं0 219/2025 धारा 302(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।**
**3. मु0अ0सं0 323/2025 धारा 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।**

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** निरीक्षक अपराध श्री राकेश कुमार सिंह, का0 दीपक कुमार वर्मा, का0 धर्मेन्द्र यादव।